



# राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

उत्तर क्षेत्रीय समिति

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

NORTHERN REGIONAL COMMITTEE

रजिस्टर्ड

क्रमांक: एफ-3/यू.पी.-32/ 5734

दिनांक: 24-01-97

## आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(ए) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर क्षेत्रीय समिति, क्रिश्चियन एल.टी. ट्रेनिंग कॉलेज, लखनऊ को सत्र 1996-97 से एक वर्षीय नियमित एल.टी.(सेकेण्डरी) पाठ्यक्रम में 100 छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने के लिये मान्यता प्रदान करती है।

यह मान्यता उक्त अधिनियम की धारा 17(1) के अन्तर्गत कार्यवाही न होने तक जारी रहेगी।

आज्ञा से

(डा. अनिल शुक्ल)  
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. शासन सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार, सचिवालय, लखनऊ
2. शिक्षा निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार
3. कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्/संस्थान, निशातगंज, लखनऊ
5. प्रधानाचार्य, क्रिश्चियन एल.टी. ट्रेनिंग कॉलेज, लखनऊ
6. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली
7. कार्यालय आदेश फाइल
8. भारत के राजपत्र में प्रकाशन हेतु
9. गार्ड फाइल

(डा. अनिल शुक्ल)  
क्षेत्रीय निदेशक